2011/00011

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प शिव

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन पत्र संख्या 41//2011

प्रार्थीगण

1.लाधूराम पुत्र खेताराम
2.तामलराम पुत्र खेताराम
जाति मेगवाल निवासी धीरजी की ढाणी तहसील,शिव

बनाम्

अप्रार्थीगण

1.गनीखां पुत्र साकर खां
2.राजों पत्नि गनीखां
3.हासमखां पुत्र साकरखां
4.मीमों पत्नि हासम खां
5.कमरदीन पुत्र साकर खां
6.सकीनों पत्नि कमरदीन
कौम मुसलामन निवासी धीरजी की ढाणी तहसील शिव
7.तहसीलदार शिव

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन)नियम,1970

उपस्थितः–1. प्रार्थी संख्या 01 व 02 उपस्थित,अधिवक्ता उपस्थित।
2 अप्रार्थी संख्या 01,03,05 उपस्थित,दीगर अनुपस्थित,अधिवक्ता अनुपस्थित।
3.अप्रार्थी संख्या 07 उपस्थित।

निर्णय दिनांक 21.06.2016

1- संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति, उपखण्ड अधिकारी शिव ने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को मौजा राजबेरा के खसरा नम्बर 542/277 रकबा 24 बीघा 04 विस्वा,अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को खसरा नम्बर 543/277 रकबा 24.04 बीघा व अप्रार्थी संख्या 05 व 06 को खसरा नम्बर 544/277 रकबा 24.04 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 12.01.2011 को किया गया। प्रार्थीगण का यह कथन है कि अप्रार्थीगण के नाम के नोशनल शेयर के आधार होते हुए भी ग्राम राजबेरा तहसील शिव में नाजायज व गलत रूप आवंटन कमेटी के समक्ष इन तथ्यो को छिपाकर, कपटपूर्ण तथा दुर्व्यशन द्वारा अपने नाम से आवंटन करवाया है। इसलिये अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन को खारिज किया जाए।

2- इस पर हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल चौधरी हाजिर आये। जिन्होंने दिनांक 24.10.

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2012 को प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर आवेदन के पद संख्या 03 से 08 गलत होने से अस्वीकार करते हुए यह कथन किया कि मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति न होकर परसनल सम्पति होती है जिसमें माता पिता के जीवित रहते हुए उनकी संतान के कोई अधिकार पैदा नहीं होता है और न ही मुस्लिम विधि में नोशनल शेयर है। अप्राथीगण मुस्लिम विधि से शासित होने एंव मुस्लिम विधि में संयुक्त परिवार अथवा पैतृक सम्पति नाम की अचल सम्पति प्राप्त नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना सारहीन होने से खरिज फरमाया जावे।

3- पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट शिव में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी संख्या 01 व 02 उपस्थित रहे। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01,03, 05,07 उपस्थित रहे दीगर अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे।

4- हमने उभय पक्ष को सुना। पत्रावली एंव उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को मौजा राजबेरा के खसरा नम्बर 542/277 रकबा 24.04 बीघा, अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को खसरा नम्बर 543/277 रकबा 24.04 बीघा व अप्रार्थी संख्या 05 व 06 को खसरा नम्बर 544/277 रकबा 24.04 बीघा भूमि का आवंटन भूमि आवंटन सलाहकार समिति,उपखण्ड अधिकारी,शिव द्वारा दिनांक 12.01.2011 को किया गया है। प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थीगण के पिता सांकर खा के नाम ग्राम धीरजी की ढाणी के खसरा नम्बर 424/277 रकबा 27.17, ग्राम राजबेरा के खसरा नम्बर 305 रकबा 230.02 बीघा,खसरा नम्बर 306 रकबा 35.05 बीघा एंव माता मिरोजी के नाम ग्राम कसुम्बला भाटियान के खसरा नम्बर 06 रकबा 71.07 बीघा एंव ग्राम मदों की ढाणी के खसरा नम्बर 552 रकबा 39.01 बीघा भूमि होने एंव अप्रार्थीगण के नाम के नोशनल शेयर के आधार होते हुए भी ग्राम राजबेरा तहसील शिव में नाजायज व गलत रूप आवंटन कमेटी के समक्ष इन तथ्यो को छिपाकर, कपटपूर्ण तथा दुर्व्यशन द्वारा अपने नाम से आवंटन करवाया है। इस सम्बन्ध में मुस्लिम विधि का अवलोकन किया गया। मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति परसनल सम्पति होती है। जिसमें माता पिता के जीवित रहते हुए उनकी संतान के कोई अधिकार पैदा नहीं होते तथा मुस्लिम विधि में नोशनल शेयर नहीं बनता है। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अप्रार्थीगण के पिता साकर खां एंव माता मिरोजी के नाम ग्राम धीरजी की ढाणी,राजबेरा कसुम्बला भाटीयान एंव मदो की ढाणी में जो भूमि बताई है उस भूमि में अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
शिव

01,03 व 05 के पिता व माता की सम्पति में उनके जीवन काल में अप्रार्थीगण के कोई अधिकार पैदा नहीं होते है। यह सम्पति उसकी निजी कब्जे वाली है जिसमें उसके जीवन काल में अप्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही बनता है। माता पिता की सम्पति में जब अधिकार ही पैदा नहीं होते है तो नोशनल शेयर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः अप्रार्थीगण का कोई नोशनल शेयर नहीं बनता है। लिहाजा अप्रार्थीगण मुस्लिम विधि से शासित होने से अप्रार्थीगण पर नोशनल शेयर के आधार होते हुए भी ग्राम राजबेरा तहसील शिव में नाजायज व गलत रूप से भूमिहीन बनकर आवंटन कमेटी के समक्ष इन तथ्यो को छिपाकर, कपटपूर्ण तथा दुर्व्यशन द्वारा अपने नाम से आवंटन करवाने का आरोप साबित नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

5- उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन एंव बलहीन होने से खारिज किया जाता है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प शिव में आज दिनांक 21.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर